

प्रेषक,

विवेक स्वरूप,
वित्त नियंत्रक
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।



प्रेषित,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
टिहरी/उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग/चम्पावत/पिथौरागढ़।

संख्या 639 / ल०सि०/बजट-आवंटन(नाबाई)/2024-25 दिनांक : 20 जुलाई, 2024

विषय- नाबाई वित्त पोषित RIDF-XXVIII योजनान्तर्गत धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या E-38948/242/II(3)/2024-03(08)/2022 दिनांक 18-07-2024 द्वारा वर्ष 2024-25 में नाबाई वित्त पोषित RIDF-XXVIII योजनान्तर्गत निम्नलिखित खण्डों की निर्माणाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रु० 428.666 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तत्क्रम में मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग के अनुमोदनोपरान्त, उक्त सन्दर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित खण्डों को निम्नानुसार धनराशि निर्गत की जा रही है :-

अनुदान संख्या-20 लेखाशीर्षक 4702-00-800-98-01 (धनराशि लाख रु० में)

DDO कोड	खण्ड का नाम	कोषागार	निर्गत धनराशि
2235	लघु सिंचाई खण्ड, टिहरी	टिहरी	140.721
2235	लघु सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	87.818
2235	लघु सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	19.000
2235	लघु सिंचाई खण्ड, चम्पावत	चम्पावत	90.698
2235	लघु सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	90.429
योग-			428.666

(रूपये चार करोड़ अट्ठाईस लाख ठियासठ हजार छः सौ मात्र)

अतः उक्तानुसार सम्बन्धित लघु सिंचाई खण्ड को रु० 428.666 लाख मात्र की धनराशि का निर्गमन संलग्न अलाटमेन्ट आई०डी० के अनुसार सम्बन्धित खण्ड के निवर्तन पर व्यय हेतु किया जाता है।

संलग्न : उक्तानुसार।

अ. वित्त/लघु सिंचाई विभाग/उत्तराखण्ड
बजट 2024-25 के अंतर्गत
29/07/24

भवदीय
U. H. Swankh
(विवेक स्वरूप)
वित्त नियंत्रक

संख्या / ल०सि०/आवंटन(नाबाई)/2024-25 दिनांक : उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्न को संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
- 4- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों (छायाप्रति संलग्न) में इंगित प्राविधानानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।
- 5- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों (छायाप्रति संलग्न) में इंगित प्राविधानानुसार कार्य कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उक्तानुसार।

(विवेक स्वरूप)
वित्त नियंत्रक